राजस्व विभाग

युद्ध जागीर

दिनांक 15 अक्तूबर, 1997

क्रमांक 2472-ज-2-97/15654.—श्री लाला राम पुत्र श्री बुध राम, निवासी गांव जय सिंह पुर, खेडा, तहसील बावल जिला महेन्द्रगढ़ अब रेवाडी को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 864-ज-1-81/26985, दिनांक 31 जुलाई, 1981 द्वारा 150 रुपये वार्षिक और बाद में अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-1-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 150 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी।

2. अब श्री लाला राम की दिनांक 2 जुलाई, 1989 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री लाला राम की विधवा श्रीमती दिलकोर के नाम रबी, 1990 से 300 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1993 से 1,000 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं।

दिनांक 27 अक्तूबर, 1997

क्रमांक 2616-ज-2-97/16108.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2(ए) (1ए) और 3 (1ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, रबी, 1977 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक रबी, 1980 से खरीफ, 1992 तक 300 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1993 से 1,000 रुपये (केवल एक हजार रुपये) की वार्षिक युद्ध जागीर श्रीमती सरदार कौर पत्नी स्व० श्री बलवन्त सिंह, गांव लोटा तहसील नारायणगढ़ जिला अम्बाला की सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

क्रमांक 2600-ज-2-97/16112.—श्री दरिया सिंह, पुत्र श्री गंगा राम, निवासी गांव नौनद, तहसील व जिला रोहतक को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2(ए), (1ए) तथा 3(1ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1588-ज-2-78/30782, दिनांक 8 नवम्बर, 1978 द्वारा 150 रु० वार्षिक और बाद में अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-1-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 300 रुपये वार्षिक और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 2944-ज-2-93/15918, दिनांक 26 अगस्त, 1993 द्वारा 300 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये वार्षिक की दर से जागीर मन्जूर की गई थी।

2. अब श्री दरिया सिंह की दिनांक 14 दिसम्बर, 1996 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये, इस जागीर को श्रीमती सरतो पत्नी स्वर्गीय श्री दरिया सिंह निवासी गांव नौनद तहसील व जिला रोहतक के नाम रबी, 1996 से 1,000 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं।

क्रमांक 2599-ज-2-97/16126.—श्री हजारा सिंह पुत्र श्री बागा सिंह, निवासी गांव टमरौली, तहसील नारायणगढ़, जिला अम्बाला को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 5927-र-III-70/1401, दिनांक 15 जनवरी, 1971 द्वारा 150 रु० वार्षिक और बाद में अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-1-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 150 रु० से बढ़ाकर 300 रु० वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी।

2. अब श्री हजारा सिंह की दिनांक 26 जुलाई, 1990 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये, इस जागीर को श्रीमती हरकौर पत्नी स्व० श्री हजारा सिंह के नाम खरीफ, 1990 से 300 रु० वार्षिक तथा रबी, 1993 से 1,000 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं।

(हस्ताक्षर) . . .,

अवर सचिव, हरियाणा सरकार,
राजस्व विभाग।